

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

—:: संकल्प ::—

श्री संजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने के संबंध में।

श्री संजय कुमार, सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा के विरुद्ध नगर परिषद्, मोकामा में IHSDP योजनाओं के कार्यान्वयन में विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना कर भारी वित्तीय अनियमितता करने तथा सरकारी राशि का दुरुपयोग एवं गबन किये जाने संबंधी परिवाद के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना द्वारा विभागीय स्तर पर जाँच दल गठित कर श्री कुमार के विरुद्ध प्राप्त आरोपों की जाँच कराई गयी। जाँचोपरान्त नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-6283 दिनांक-05.10.2023 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध आरोप गठित कर श्रमायुक्त, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। तत्समय श्री कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अतएव इनके अनुशासनिक प्राधिकार श्रमायुक्त, बिहार द्वारा इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ की गई थी। इस बीच श्री कुमार, श्रम अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत हो गये, और इनका अनुशासनिक प्राधिकार बदल गया।

2. उक्त के आलोक में श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-2178 दिनांक-22.04.2024 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध आरोप प्रतिवेदित कर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा प्राप्त हुई। श्रमायुक्त, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय स्तर पर आरोप गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय ज्ञापांक-2163 दिनांक-26.06.2024 द्वारा श्री कुमार को आरोप ज्ञापित करते हुए श्री कुमार से बचाव/लिखित अभिकथन की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा लिखित अभिकथन उपलब्ध कराने हेतु कतिपय दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तदालोक में वांछित अभिलेख नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त कर श्री कुमार को उपलब्ध कराते हुए बचाव बयान/लिखित अभिकथन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, (विभागीय पत्रांक-59 दिनांक-08.01.2025) किन्तु श्री कुमार द्वारा बचाव बयान/लिखित अभिकथन उपलब्ध नहीं कराया गया, एवं अन्य अभिलेख की मांग की गई। विभाग द्वारा श्री कुमार को निदेशित किया गया कि उपलब्ध कराये गए अभिलेख के आधार पर अपना बचाव बयान/लिखित अभिकथन उपलब्ध कराये अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है (विभागीय पत्रांक-1935 दिनांक-21.07.2026)। उक्त के आलोक में श्री कुमार के पत्रांक-शून्य दिनांक-27.07.2026 द्वारा पूर्व के कथनों को दोहराते हुए अन्य अभिलेखों की मांग की गई।

3. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त पत्र की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार अपने बचाव बयान/लिखित अभिकथन उपलब्ध कराने हेतु बार-बार टाल-मटोल कर रहे हैं।

4. अतएव श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए वर्णित परिस्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के संगत प्रावधानों एवं बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(ख)-सह-पठित नियम-139 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।
5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 (5) (ग) के आलोक में श्रीमती कुमारी शिशिर भारती, संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी एवं श्री शशि शेखर, सहायक श्रमायुक्त (प्रवासी), श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
6. श्री संजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे, यदि वे जाँच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं या बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों के आलोक में निर्गत निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं तो संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध एक पक्षीय जाँच किया जा सकेगा।
7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि, इस संकल्प की प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री संजय कुमार, सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा (स्थायी पता: पिता का नाम-श्री जागेश्वर पासवान, ग्राम-हथौड़ी डीह, पो-हथौड़ी भाया-हायाघाट, जिला-दरभंगा) को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(उपेन्द्र प्रसाद)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-6/श्रम वि०आ०(02)-16/2024 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने तथा राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-6/श्रम वि०आ०(02)-16/2024 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्रीमती कुमारी शिशिर भारती, संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को साक्ष्य सहित आरोप-पत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही की जाँच तीन माह के अन्दर पूर्ण कर, जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करने का कष्ट किया जाय (कार्यवाही अभिलेख आदेश फलक सहित)।

अनु०-यथोक्त (923 पृष्ठ में)।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-6/श्रम वि०आ०(02)-16/2024 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री शशि शेखर, सहायक श्रमायुक्त (प्रवासी), श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना, को साक्ष्य सहित आरोप-पत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। श्री शशि शेखर प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

अनु०-यथोक्त (923 पृष्ठ में)।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: 6/श्रम वि०आ०(02)-16/2024 श्र०सं०-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- श्री संजय कुमार, सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा (स्थायी पता: पिता का नाम-श्री जागेश्वर पासवान, ग्राम-हथौड़ी डीह, पो०-हथौड़ी भाया-हायाघाट, जिला-दरभंगा) को साक्ष्य सहित आरोप-पत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०-यथोक्त (923 पृष्ठ में)।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-6/श्रम वि०आ०(02)-16/2024 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-6/श्रम वि०आ०(02)-16/2024 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

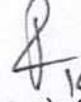
प्रतिलिपि:- परियोजना पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-6/श्रम वि०आ०(02)-16/2024 श्र०सं०- 2532 पटना, दिनांक-14/9/26

प्रतिलिपि:-श्रमायुक्त, बिहार/विशेष सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/लोक सूचना पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-01 (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


14/09/2026
सरकार के विशेष सचिव

आई०टी० मैनेजर